न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 49/25 दिनांक 20.09.2025

— :: निर्णय :: —

प्रार्थी श्री छोटेलाल पुत्र/पुत्री/पत्नि मोती ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तीतरखेड़ी पटवार मण्डल तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076 - 79 के खाता संख्या 143 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति छोटेलाल पुत्र मोत्या अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से छोट्या पुत्र मोती अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी तीतरखेड़ी से करवाने पर पटवारी ने छोटेलाल पुत्र मोत्या के बजाय छोट्या पुत्र मोती करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में छोटेलाल पुत्र मोत्या के बजाय छोट्या पुत्र मोती करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम तीतरखेड़ी के खाता संख्या 143 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति छोटेलाल पुत्र मोत्या के स्थान पर सम्मानजनक रूप से छोट्या पुत्र मोती दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)